

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना

“बिहार दिवस 2023” के अवसर पर गांधी मैदान, पटना में दिनांक 22.03.2023 से 24.03.2023 तक बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस अवसर पर **3D Holographic Presentation** हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र०	कार्य का नाम	दर प्रति यूनिट
1.	<u>3D Holographic Presentation</u> 20 Feet X 10 Feet display of holographic videos including shooting and making of holographic video and displaying it for 03 days for 10 minutes duration inclusive of all cost.	एक मुश्त

नियम एवं शर्तें

- सभी संस्थानों/अभिकर्त्ताओं को वाणिज्य कर/आयकर निबंधित होने संबंधी प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदा में अंकित Item का दर दिनांक- 22.03.2023 से 24.03.2023 तक यथा तीन दिनों के लिए उद्धृत करना होगा।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर क्लियरेंस होना चाहिए।
- निविदाकर्त्ताओं को कार्यक्रमों के लिए मुहरबंद लिफाफे में कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण की पूर्ण विवरणी एवं पूर्व अनुभव का प्रमाण भी अंकित करना आवश्यक होगा। बिहार दिवस कार्यक्रम के पूर्व अनुभव को उनके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- प्री बीड मीटिंग दिनांक 10.03.2023 को प्राधिकरण सभाकक्ष में पूर्वाह्न 03:00 बजे आयोजित होगी।
- निविदाकर्त्ता को अपनी निविदा के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपये जमानत की राशि बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में Bihar State Disaster Management Authority के नाम से पटना में भुगतान देना होगा।

7. सभी निविदाएं दिनांक—13 मार्च, 2023 को 04.00 बजे अप0 तक हीं स्वीकार की जायेंगी एवं दिनांक 15 मार्च, 2023 को 3.00 बजे अप0 में "आन्तरिक क्रय समिति" के समक्ष खोली जायेगी। अभिकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उक्त अवसर पर उपस्थित रह सकते हैं। तत्पश्चात योग्य पाये गये निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को आपूर्ति आदेश दिया जायेगा।
8. प्राधिकरण द्वारा इन कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
9. अभिकर्ताओं को नियमानुसार TDS / GST TDS की राशि कटौती कर के ही भुगतान किया जायेगा।
10. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूपेण रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
11. सभी कार्य यथानिर्देशित उत्तम तरीके से करना होगा अन्यथा अंतिम भुगतान से इसकी पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जायेगी।

सचिव
25/3/23